रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/88

REGISTERED NO. L

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1, 1988 (आश्विन 9, 1910)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1988 (ASVINA 9, 1910)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notificatoins, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

शहरी बैंक विभाग

"दि आर्केड", विश्व व्यापार केन्द्र

बम्बई-400 005, दिनांक 6 सितम्बर, 1988

संदर्भ : यू० बी० डी० सं० बी० आर० 95/ए-18-88-89—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खण्ड (यक) के साथ पठित धारा 36(क) की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित वेतनभोगी कर्मचारियों की समिति अब उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत सहकारी बैंक नहीं रह गयी है।

समिति का नाम	राज्य
पार्वतीपुरम को-आपरेटिव बैंक लि०, पार्वतीपुरम जिला-विजियानगरम	आंध्र प्रदेश

पी० बी० माथुर,
संयुक्त मुख्य अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक,

केन्द्रीय कार्यालय,

बम्बई, दिनांक 3 सितम्बर, 1988

सं० ए० डी० एम०/37222—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री डी० एन० महापात्र, अधिकारी, शीर्ष कार्यपालक श्रेणी-6 ने दिनांक 30 अगस्त, 1988 से उप महाप्रबंधक, आर्थिक अनुसंधान विभाग, केन्द्रीय कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया है।

मो० ना० शेवडे, मुख्य महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

कार्मिक विभाग

इंडियन बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मद्रास 600 001, दिनांक 28 जनवरी, 1988

सं० 2, सा० का० नि०—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए....इंडियन बैंक..का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और

GDN)—128/88

र इंडियन बैंक (अधिकारी) मे संशोधन करने के लिए, जाता है।

भः—(1) इन विनियमों का) सेवा (संशोधन) विनियम

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. संशोधनों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाए :—

1. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 संशोधित विनियम 5(1)	रुद्धता वेतनवृद्धियां
2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 संशोधित विनियम 5(2)	भा० बैं० सं० प्र० स० वेतनवृद्धियां
3. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 किराया भत्ता—संशोधित विनियम 22(2)	परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में मकान
4. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 भत्ता—संशोधित विनियम 23(iv)	शैक्षिक वर्ष के बीच में स्थानान्तरण
5. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 संशोधित विनियम 23(vi)	स्थानापन्न भत्ता
6. इंडियन बक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 संशोधित विनियम 23(x)	पहाड़ और ईंधन भत्ता
7. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979, संशोधित विनियम 24(ख)	चिकित्सीय व्यय
8. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का भुगतान—संशोधित विनियम 41(4)	अधिकारियों को विराम भत्ते
9. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 विनियम 42(2)	बैगेज प्रभार-संशोधित
10. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 संशोधित विनियम 42(3)	स्थानांतरण पर प्रासंगिक व्यय
11. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 प्राप्त करना—संशोधित विनियम 44(11)	छुट्टी को अभ्यर्पित कर नकद

उल्लिखित संशोधित विनियम संलग्न हैं।

विषय: इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन 1979

रुद्धता वेतनवृद्धियां:

संशोधित विनियम 5(1)

विनियम 4 में उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट, वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन रहते हुए वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होगी और वह उस मास की पहली तारीख को प्रदान की जाएगी जिसमें वह देय होती है। बशर्ते कि कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान 1 और मध्यम प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान II और III के उन अधिकारियों को, जोकि 01–01–85 और उसके बाद अपने वेतनमान के उच्चतम स्तरों पर पहुंचते हैं, उनके वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के हर पांच पूरे सेवा वर्षों के लिए उनकी पिछली वेतनवृद्धि की समान राशिवाली वेतनवृद्धि दी जाए और कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान-I के अधिकारियों को ऐसी दो वेतनवृद्धियां दी जा सकती हैं और मध्यम प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान II और III के अधिकारियों को ऐसी एक वेतनवृद्धि दी जा सकती है।

ऐसे अधिकारियों के मामले में, जिन्होंने अपने तत्संबंधित वेतनमान में 5 वर्षों से अधिक सेवाकाल पूरा किया है, उनको 01–01–85 से या वेतनवृद्धि देय होने की तारीख से, जो भी बाद वाली तारीख हो, ऐसी पहली रुद्धता वेतन–वृद्धि दी जाएगी, परन्तु अर्ह व्यक्तियों के लिए 01–01–87 के पहले दूसरी वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।

भा० बैं० सं० प्र० उ० वेतनवृद्धियां

संशोधित विनियम 5(2)

भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित उप सदस्य की परीक्षा के प्रत्येक भाग को उत्तीर्ण करने के लिए वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि 01–02–84 से वेतनमान के उच्चतम में पहुंचे हुए अधिकारियों को, उनके उच्चतम वेतनमान में पहुंचने की एक वर्ष की अवधि के बाद भा० बैं० सं० प्र० उ० के पहले भाग में उत्तीर्ण होने के लिए रु० 100/– प्र० म० की वेतनवृद्धि और उच्चतम वेतनमान में दो वर्ष पूरा करने के बाद भा० बैं० सं० प्र० उ० के दोनों भागों में उत्तीर्ण होने के लिए रु० 200/– प्र० म० वेतनवृद्धि व्यावसायिक योग्यता भत्ते के रूप में दी जाए।

परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में मकान किराया भत्ता

संशोधित विनियम 22(2)

जहां 01-02-1984 को और उस तारीख से किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान नहीं दिया जाता है वहां वह अधिकारी ऐसे मकान किराया भत्ते का पात्र होगा जो उसके द्वारा अपने निवास स्थान के लिए संदत्त वास्तविक किराए की उसके उस वेतनमान के जिसमें वह रखा गया है, पहले चरण के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिकता के बराबर राशि होगी और ऐसी राशि की अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी :—

जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित में है	वहां मकान किराया भत्ते की अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी
1. प्रधान "क" वर्ग के शहर, जो सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार बोर्ड द्वारा उस प्रकार निर्दिष्ट किए जाते हैं और ग्रुप "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्रों के लिए	मूल वेतन का 17.5 प्रतिशत या रु० 500/— इनमें से जो भी कम हो ।
2. क्षेत्र 1, जो उपर्युक्त मद (1) के अंतर्गत नहीं आता और ग्रुप "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्रों के लिए	मूल वेतन का 15 प्रतिशत या रु० 400/— इनमें से जो भी कम हो ।
3. क्षेत्र 2 और राज्यों के प्रधान नगर और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान नगर जो उपर्युक्त मद 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते ।	मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत या रु० 300/— इनमें से जो भी कम हो ।
4. क्षेत्र 3	मूल वेतन का 10 प्रतिशत या रु० 250/—इनमें से जो भी कम हो ।

टिप्पणी : उपर्युक्त रूप से मकान किराया भत्ता किराए रसीदों के प्रस्तुत किए जाने पर संदेय होगा । इसके अलावा कोई अधिकारी प्रमाणपत्र के आधार पर मकान किराया भत्ते के लिए उपर्युक्त दरों पर नीचे दी गई अधिकतम सीमाओं के अधीन दावा कर सकता है ।

प्रधान "क" वर्ग के नगर और ग्रुप "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम रु० 275/—
क्षेत्र 1 में अन्य स्थान और ग्रुप "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम रु० 225/—
क्षेत्र 2 में और राज्य के प्रधान नगर और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान नगर	अधिकतम रु० 165/—
क्षेत्र 3	रु० 110/— (निश्चित)

शैक्षिक वर्ष के बीच में स्थानान्तरण भत्ता

संशोधित विनियम 23(IV)

01-01-1987 और उसके आगे यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान को अंतरित किया जाता है और यदि उसको एक या अधिक संतान पूर्ववर्ती स्थान में विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रही है तो उस तारीख से जिस तारीख को वह पश्चात् कथित स्थान पर रिपोर्ट करता है, शैक्षिक वर्ष के अंत तक, सभी संतानों को बाबत रु० 150 प्रति मास शैक्षिक वर्ष के मध्य अंतरण भत्ता । परन्तु ऐसा भत्ता उस दशा में बंद हो जाएगा जब सभी संतान में पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देंगी ।

स्थानापन्न भत्ता

संशोधित विनियम 23(VI)

01-01-85 और उसके बाद यदि उसे कम से कम 7 दिन की निरंतर अवधि के लिए या किसी कैलेंडर मास के दौरान कुल सात दिन के लिए किसी उच्चतर स्तर में किसी पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य करने को अपेक्षा की जाती है तो, उसके वेतन का 10 प्रतिशत, रु० 250/— प्र० म० के अधिकतम के साथ, स्थानापन्न पद में रहने की अवधि के दौरान भत्ते के रूप में उसको प्राप्त होगा । स्थानापन्न भत्ता भविष्य निधि के प्रयोजनों के लिए वेतन होगा और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं होगा—

परन्तु यदि कोई अधिकारी मात्र विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो वह उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते का पात्र नहीं होगा जिस तारीख को प्रवर्गीकरण का पुनर्विलोकन प्रभावी होता है ।

पहाड़ और ईंधन भत्ता : अधिकारी लोग निम्नलिखित भत्तों के लिए अर्ह होंगे :—

संशोधित विनियम 23(X)

01-01-85 और उसके बाद यदि वह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है तो उसके स्तंभ 2 में उस स्थान के सामने उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता :—

सारणी

स्थान	दर
माध्य समुद्र तल से 1500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 10 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 130 रु० प्रति मास होगा ।
माध्य समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 8 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 100/— रु० प्रति मास होगा ।

चिकित्सीय व्यय:

संशोधित विनियम 24(1) (ख) (I) :

अस्पताल में भर्ती प्रभारों को किसी अधिकारी की दशा में, 75 प्रतिशत तक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों की दशा में 50 प्रतिशत तक उन मामलों में प्रतिपूर्ति की जाएगी जिनमें अस्पताल में भर्ती किया जाना अपेक्षित है।

संशोधित विनियम 24(1) (ख) (II) :

प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रभारों तक निर्बन्धित होगी :

1. शय्या के लिए प्रभार जो महानगरों में अधिक से अधिक 40 रु० प्रति दिन और अन्य स्थानों में अधिक से अधिक 30 रु० प्रति दिन तक सीमित होंगे।
2. अस्पताल प्रभार, जिनके अन्तर्गत भोजन के लिए प्रभार नहीं है।
3. निदान सामग्री प्रभार, एक्सरे, विकृति परीक्षण, ई० सी० जी० आदि।
4. औषधियों, टानिकों के सिवाय।
5. शल्य-चिकित्सक की फीस, जिसके अन्तर्गत निश्चेतक रक्ताधान और डायलिसिस भी है।
6. आपरेशन थियेटर प्रभार।
7. फिजिशियन और परामर्शदाता की फीस।

संशोधित विनियम 24(1) (ख) (III)

यथास्थिति, अधिकारियों या उनके कुटुम्बों के सदस्यों से यह प्रत्याशा है कि वे सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल (अर्थात् किसी न्यास, पूर्ति संस्था या धार्मिक मिशन के प्रबन्धाधीन अस्पतालों) में भर्ती हों। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारी या उनके कुटुम्ब के सदस्य या दोनों किसी अनुमोदित प्राइवेट नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उस रकम तक निर्बन्धित होगी जिसकी उस दशा में प्रतिपूर्ति की जाती जब रोगी को ऊपर उल्लिखित अस्पतालों में किसी में भर्ती किया जाता।

संशोधित विनियम 24(1)(ख) (IV)

अस्पताल में भर्ती के व्यय की दशा में, प्रतिपूर्ति उपगत व्यय के बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर होगी।

संशोधित विनियम 24(1) (ख) (V)

निम्नलिखित बीमारियों, जिनके लिए आवासीय चिकित्सा आवश्यक है और जिन्हें मान्यता प्राप्त अस्पताल प्राधिकारी और बैंक के चिकित्सा अधिकारी ऐसे प्रमाणित करते हैं, के लिए उठाए गए व्ययों को भी 1-1-1987 से अस्पताल में भर्ती व्यय माना जाएगा और अधिकारियों के मामले में 75 प्रतिशत तक और उनके परिवार सदस्यों के मामले में 50 प्रतिशत तक प्रतिपूरित किया जाएगा।

कैंसर, क्षयरोग, पैरेलिसिस, हृदय संबंधी बीमारी, ट्यूमर, चेचक, प्लुअरसि, डिफ्तीरिया, कुष्ठ, गुरदा की बीमारी।

यात्रा की रीति और यात्रा का व्यय

संशोधित विनियम 41(4)

1-1-87 और उसके बाद नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उपवर्णित ग्रेड/वेतनमान में का अधिकारी उसके स्तम्भ 2 में उपवर्णित तत्स्थानी दरों पर विराम भत्ते का हकदार होगा:—

सारणी संशोधन के बाद

	दैनिक भत्ता		
अधिकारियों का ग्रेड/वेतनमान	प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
(1)		(2)	
	रु०	रु०	रु०
वेतनमान vi व vii	100/-	80/-	60/-
वेतनमान iv व v	100/-	80/-	60/-
वेतनमान ii व iii	70/-	60/-	50/-
वेतनमान i	70/-	60/-	50/-

परन्तु

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घंटे से अधिक हैं तो विराम भत्ता उपर्युक्त दरों पर संदेय होगा।

(ख) आई टी डी सी होटलों में, नीचे दी गई सीमाओं के अधीन विभिन्न ग्रेड/वेतनमानों के अधिकारियों को इकहरा कमरा आवास तक ही सीमित वास्तविक होटल व्यय राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अधिकारियों का ग्रेड /वेतनमान (1)	ठहरने के लिए अर्हता (2)
वेतनमान vi व vii	4×होटल
वेतनमान iv व v	3×होटल
वेतनमान ii व iii	2×होटल (अवातानुकूलित)
वेतनमान i	1×होटल (अवातानुकूलित)

भोजन व्यवस्था प्रभार

प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
(3)	(4)	(5)
रु० 100/-	रु० 80/-	रु० 60/-
रु० 100/-	रु० 80/-	रु० 60/-
रु० 70/-	रु० 60/-	रु० 50/-
रु० 70/-	रु० 60/-	रु० 50/-

(ग) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 3/4 अनुज्ञेय होगा।

(घ) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 1/2 अनुज्ञेय होगा।

(ङ) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 1/4 अनुज्ञेय होगा।

(च) सभी निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण कार्य पर मुख्यालय से बाहर विराम के लिए प्रतिदिन 10 रु० के हिसाब से अनुपूरक दैनिक भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" से 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका पश्चात्वर्ती भाग अभिप्रेत है, जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में, स्थान के लिए रिपोर्ट करने के समय से, और अन्य दशाओं में चेथान के अनुसूचित समय से पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

बैगेज प्रभार

संशोधित विनियम 42 (2) (I)

स्थानान्तरण होने पर, एक अधिकारी को मालगाड़ी से सामान ले जाने पर निम्नांकित सीमा तक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी :

वेतन श्रेणी	परिवार सहित	परिवार के बिना
रु० 1175/– से रु० 1825/–प्र० म० तक	3000 कि० ग्रा०	1000 कि०ग्रा०
रु० 1826/– प्र० म० और उससे ऊपर वेतन अधिक	2000 कि०ग्रा०	

संशोधित विनियम 42 (2) (II)

दिनांक 1–1–87 से सम्पूर्ण बैगन के लिए पात्र अधिकारी यदि रेलवे की "कन्टेनर सेवा" का लाभ उठाता है तो कनिष्ठ या मध्य प्रबन्धन ग्रेड में होने पर उसे एक कन्टेनर और वरिष्ठ या उच्च प्रबन्धन वर्ग में होने पर उसे दो कन्टेनर के वास्तविक प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी। रेल से जुड़े होने पर भी सामान रोड़ परिवहन से ले जाया जाता है तो बिलों के प्रस्तुतीकरण पर ही वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि परिवहन लागत मालगाड़ी के लिए स्वीकृत अधिकतम सीमा से अधिक न हो। नए या पुराने नियुक्ति स्थान पर, यदि कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे आउट एजेंसी नहीं है, तो अधिकारी को रोड द्वारा निकटवर्ती रेलवे स्टेशन या रेलवे आउट एजेंसी तक सामान ले जाने के लिए वास्तविक परिवहन लागत का भुगतान किया जाएगा। यदि दोनों स्थानों पर रेलवे स्टेशन/आउट एजेंसी नहीं है, तो अधिकारी को अनुमोदित परिवहन प्रचालक द्वारा निर्धारित वजन तक रोड द्वारा सामान ले जाने के लिए वास्तविक परिवहन लागत का भुगतान किया जाएगा।

संशोधित विनियम 42 (2) (III)

जिस अधिकारी के स्वामित्व में कोई कार है, वह अन्तरण के स्थान तक रेल द्वारा उसके परिवहन की लागत का दावा मालगाड़ी दर पर करने का हकदार होगा और यदि कार सड़क पर चलाकर ले जाई जाती है, तो उसे ले जाने की लागत का, बोर्ड द्वारा विनिश्चित दरों पर हकदार होगा।

संशोधित विनियम 42(2) (IV)

जिस अधिकारी के स्वामित्व में कोई स्कूटर, मोटर साईकल या अन्य यान है वह अन्तरण के स्थान तक उसके परिवहन की लागत का, मालगाड़ी दर पर दावा करने का पात्र होगा और यदि यान का परिवहन लारी द्वारा किया जाता है तो वह वास्तविक लारी प्रभार का दावा करने का पात्र होगा। यदि यान को सड़क पर चलाकर ले जाया जाता है तो अधिकारी बोर्ड द्वारा विनिश्चित दरों पर दावा करने का पात्र होगा।

स्थानान्तरण पर प्रासंगिक व्यय

संशोधित विनियम 42(3) I

1–1–1987 और उसके बाद स्थानान्तरित किए गए अधिकारी, पैकिंग, स्थानीय वाहन और बैगेज की बीमाकृत करने आदि के संबंध में उठाए गए व्यय के लिए नीचे दिखाए गए अनुसार एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

ग्रेड	एकमुश्त राशि
उच्च प्रबन्धन और वरिष्ठ प्रबन्धन	रु० 1,500/–
मध्यम प्रबन्धन और कनिष्ठ प्रबन्धन	रु० 1000/–

छुट्टी को अभ्यर्पित कर नकद प्राप्त करना

संशोधित विनियम 44(II)

चार वर्षों में एक बार जब एक अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते हैं, उन्हें एक समय में एक महीने से अनधिक अपनी साधिकार छुट्टी अभ्यार्पित कर, नकद प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। 1–1–1987 और उसके आगे, छुट्टी अभ्यर्पित कर नकद प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु, जिस महीने में छुट्टी किराया रियायत शुरू होती है, उसके दौरान देय सभी परिलब्धियां अनुगत होंगी।

एक अधिकारी को स्वेच्छा से एक और दिन की साधिकार छुट्टी अभ्यर्पित कर नकद प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह प्रधान मंत्री की राहत निधि में उसको दान में दे रहा है, बशर्ते कि वह इसके लिए बैंक को एक पत्र देता है और राशि को निधि में प्रेषित करने का प्राधिकार बैंक को देता है।

सं० 2, इंडियन बैंक का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ इन विनियमों का नाम इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 है। शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को वे लागू होंगे।

3. संशोधनों के विवरण सूचित किए जाएं

1. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979—विद्यमान अधिकारियों के लिए विकल्प–विनियम 12 का संशोधन।
2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979—अधिकारियों की सेवाओं का पर्यवसान—विनियम 20 का संशोधन।
3. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979—यात्रा की रीति और यात्रा का व्यय—विनियम 41(1) का संशोधन।
4. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979—प्रतिनियुक्ति भत्ता–विनियम 23 (V) का संशोधन।
5. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979—प्रतिनियुक्ति भत्ता—विनियम 23 (XI) का संशोधन।

ऊपर सूचित संशोधित विनियम संलग्न हैं।

इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979

विनियम 41 (1) का संशोधन (बोर्ड का दि० 8 नवम्बर,86 का संकल्प देखें)

यात्रा की रीति और यात्रा का व्यय

जब कभी किसी अधिकारी से ड्यूटी पर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तब निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :—

(1) ऐसा अधिकारी जो 3000/– रु० प्रति मास और उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से या वायुयान द्वारा यात्रा कर सकेगा। यदि वह वायुयान से यात्रा करता है तो वह जब तक कि बोर्ड के साधारण या विशेष विनिश्चय द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, केवल मितव्ययता श्रेणी के किराए का पात्र होगा।

(2) ऐसा अधिकारी जो 2675/- रु० प्रति मास और उससे अधिक किन्तु 3000/- रु० से कम वेतन प्राप्त कर रहा है, रेल द्वारा प्रथम श्रेणी से यात्रा कर सकेगा, किन्तु, यदि यात्रा की जानेवाली दूरी 500 कि० मी० से अधिक है या रात में भी यात्रा की जानी है तो वह वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकेगा या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से केवल मितव्ययता श्रेणी के किराए का पात्र होगा।

(3) ऐसा अधिकारी जो 2675/- रु० प्रति मास से कम वेतन प्राप्त कर रहा है, रेल द्वारा प्रथम श्रेणी से यात्रा कर सकेगा। किन्तु, यदि कारबार की, आवश्यकताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी जाए तो वह वायुयान द्वारा यात्रा कर सकेगा।

(4) ऐसा अधिकारी जो 3000/- रु० प्रति मास या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है वायुयान या रेल द्वारा न जुड़े हुए स्थानों के बीच कार द्वारा यात्रा कर सकेगा। परन्तु यह तब जब कि दूरी 500 कि० मी० से अधिक न हो। किन्तु, जब दो स्थानों के बीच की दूरी के अधिकांश भाग को केवल वायुयान या रेल द्वारा यात्रा की जा सकती है तो शेष दूरी की यात्रा प्रसामान्यतः कार द्वारा की जानी चाहिए।

(5) किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारबार की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्वयं अपने यान द्वारा या टैक्सी द्वारा या बैंक के यान द्वारा यात्रा करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

विनियम 12 का संशोधन (बोर्ड का दि० 25 सितम्बर, 1986 का संकल्प देखें)

विद्यमान अधिकारियों के लिए विकल्प :

(1) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अधिकारी को, जो नियत तारीख से ठीक पूर्व बैंक की सेवा में है, उस तारीख के पश्चात् भी, नए वेतनमान में अपने रखे जाने के सम्बन्ध में सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर बैंक को सूचना देकर नियत तारीख से ठीक पूर्व उसके लागू वेतनमान में बने रखने का विकल्प होगा।

परन्तु ऐसा विकल्प केवल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उस अधिकारी को उस वेतनमान से उच्चतर विनियम 4 में उपवर्णित वेतनमानों में से किसी वेतनमान में प्रोन्नत किया जाता है जिसका नियत तारीख से ठीक पूर्व उसके हक का वेतनमान विनियम 7 के अनुसार तत्स्थानी है।

(2) उपविनियम (3) में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय जहां किसी अधिकारी ने ऐसे विकल्प का प्रयोग किया है वहां वह नियत तारीख से ठीक पूर्व बैंक को सेवा में के अपने हक के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करता रहेगा। परन्तु फिर भी, वह अधिकारी ऐसे हक के अधीन परिलब्धियों का पात्र नहीं होगा, किन्तु केवल ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा जो उसे इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं।

(3) किसी अधिकारी को जिसने उपविनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है और उपविनियम (2) के अनुसार नियत तारीख के तत्काल पूर्व बैंक की सेवा में उनके हक के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करना जारी रखता है, इन विनियमों के अधीन लागू होने के अनुसार 01-02-64 को या उस तारीख से वेतन और भत्ते प्राप्त करने के लिए विकल्प देने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे विकल्प का प्रयोग किए जाने के बाद उन्हें नियत तारीख को विनियम 8 में निर्दिष्ट की गई रीति में नए वेतनमान में रखा जाएगा और उन्हें वेतन-वृद्धियां मंजूर करने के बाद, जो इन विनियममों के अनुसार उन्हें 31-01-1984 को प्राप्त हुई होंगी, 1-2-1984 को विनियम 4(1) में दिए गए वेतनमान में सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार रखा जाएगा।

परन्तु अधिकारी को, उपरोक्तानुसार रखे जाने के बाद इन विनियमों के अधीन संदेय वेतन और भत्तों को संकलित राशि 31-1-1984 को ऐसे रखे जाने के पहले उन्हें देय वेतन और भत्तों को संकलित राशि से कम है तो अंतर की राशि उन्हें वैयक्तिक भत्तों के रूप में संदाय करना होगा, जो भावी वेतनवृद्धि में ऐसी प्रत्येक वेतनवृद्धि की 33 1/3 प्रतिशत की सीमा तक या ऐसे वेतनवृद्धि के फलस्वरूप संबलम् में होने वाली वृद्धि की 33 1/3 प्रतिशत तक जो भी कम हो, आमेलित किया किया जाएगा।

विनियम 20 का संशोधन (बोर्ड का वि० 8 नवम्बर, 1986 का संकल्प देखें)

(1) विनियम 16 के उपविनियम (3) के अधीन रहते हुए, बैंक किसी अधिकारी की सेवाओं का पर्यवसान तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में उसे तीन मास की परि-लब्धियों का संदाय करके कर सकेगा।

(2) कोई अधिकारी सेवा छोड़ने या बन्द करने या त्याग पत्र देने के अपने आशय की सूचना पहले लिखित रूप में देने के बिना अपनी सेवा को छोड़ या बन्द नहीं करेगा। सूचना की अपेक्षित अवधि 3 मास होगी और सक्षम प्राधिकारी को इन विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी तीन मास की अवधि को घटा सकेगा या सूचना की अपेक्षा का परिहार कर सकेगा।

3. (क) उप विनियम (2) के अन्तर्विष्ट किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी कोई अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, सक्षम प्राधिकारी के लिखित-पूर्वक पूर्वानुमोदन के बिना सेवा को नहीं छोड़ेगा। बन्द करेगा पद त्याग करेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के पहले या उसके दौरान दी गई किसी भी पद त्याग की सूचना का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए बिना कोई प्रभाव नहीं होगा।

(ख) इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित मानी जाएगी यदि उसे निलंबनाधीन रखा गया है उससे कारण बताओ नोटिस जारी की गई है कि क्यों न उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाए और जहां उसके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है और उसे लंबित तब तक माना जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

(ग) अवचार के आरोप में निलंबनाधीन रखे गए कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा या अनिवार्य सेवा निवृत्ति तारीख प्राप्त करने पर उन्हें सेवानिवृत होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किन्तु आरोप की जांच समाप्त होने तथा उस पर

अंतिम आदेश दिए जाने तक उन्हें सेवा में प्रतिधारित किया जाएगा।

विनियम 23(V) का संशोधन—प्रतिनियुक्ति भत्ता

(बोर्ड का दि० 18 जुलाई, 1987 का संकल्प देखें)

इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 का विनियम 23(V), अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते भुगतान के बारे में है। इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन के विनियम 23(1) के संशोधन जोकि प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर का संशोधन है को बोर्ड द्वारा अपनाया गया है। संशोधित विनियम 24(1) निम्न प्रकार है:

विनियम 23(1)

यदि एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति बैंक के बाहर सेवा करने हेतु की जाती है, तो ऐसा अधिकारी, जिस पद पर वह प्रतिनियुक्ति है, उसकी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प कर सकता है। वैकल्पिक रूप में, वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन पर 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता और यदि वह बैंक की सेवाओं में उसी स्थान पर नियुक्त हो, तो उसको प्राप्त होने वाले अन्य भत्ते भी प्राप्त कर सकता है।

परन्तुक I

बशर्ते कि उसकी प्रतिनियुक्ति ऐसी एक संस्था में की जाती है, जोकि उसी स्थान में स्थित है, जहां वह प्रतिनियुक्ति के तत्काल पूर्व नियुक्त था तो उसको अपने वेतन पर 7.5 प्रतिशत का प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा।

परन्तुक-II

बशर्ते आगे यह है कि संकाय सदस्य के रूप में बैंक की प्रशिक्षण संस्था को या बैं० से० भ० बो० को प्रतिनियुक्ति अधिकारी, अपने वेतन पर 7.5 प्रतिशत के प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए अर्ह होगा।

विनियम 23(V) के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान, अर्ह अधिकारियों को, जोकि बैं० से० वि० बो० में नियुक्त हैं 29-10-1985 से, अर्थात् वह तारीख, जिससे उनकी प्रतिनियुक्ति भत्ता के लिए अर्ह बनाया गया और अन्य संस्थाओं को 1-2-1984 से, परिशोधित दर पर किया जा सकता है।

18-07-1987 के बोर्ड निष्कर्ष के अनुसार इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 का विनियम 23(XI), जो कि निम्न प्रकार है, निकाल दिया जाता है।

विनियम 23 (XI)

यदि बैंक की किसी शिक्षण संस्था में संकाय सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है, तो वह अपने वेतन पर 10 प्रतिशत दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा।

बी० सुब्रमणियन
सहायक महा प्रबन्धक (अधि०)
कार्मिक प्रशासन

नलक ता-700071, दिनांक 28 जुलाई, 1988

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-ई०सी०ए०(4)/3/88-89—चार्टर्ड प्राप्त लेखा-कार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्य का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	16699	श्री तुलसीदास साहा, एन्ड्रयू यूले एण्ड कं० लि०, टी इस्टेट डिपार्टमेंट, 8, क्लाइव रोड, कलकत्ता-700001	16-1-88

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 1988

सं० एम० 15/13/13/3/77—यो०एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-9-88 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे।

अर्थात्

"जिला एवं तहसील गाजियाबाद के परगना लोनी के राजस्व ग्राम लोनी एवं धरौटी खुर्द के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

ई० के० राजकृष्णन
संयुक्त बीमा आयुक्त

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली–110001, दिनांक 13 सितम्बर 1988

सूचना

सं० 25–21/88–एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के

बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें :—

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्ताओं का नाम	राशि (रु०)
1.	280664—पी ई० ए० 60	4—5—76	श्री एम० जी० पटेल	10,000

सं० 25-22/28-एल० आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें :—

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्ताओं का नाम	राशि (रु०)
1.	335753	1-6-78 ई०ए० 58	श्री सुरेश कुमार महर्षि	5,000/-

सं० 25—8/88—एल०आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें :—

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्ताओं का नाम	राशि
1.	148632-पी	21-5-69	श्री कृपाल सिंह	1,000/-
2.	206014-सी	15-3-78	श्रीमती सत्यवती गुप्ता	4,000/-
3.	207463-पी		श्रीमती राज कुमारी	5,000/-

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

URBAN BANKS DEPARTMENT

"THE ARCADE", WORLD TRADE CENTRE

Bombay-400 005, the 6th September 1988

Fef. UBD.BR.95/A.18/88-89.—In pursuance of Sub-section (2) of Section 36 A read with Clause (Za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following salary earners' society has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act :—

Name of the Society and State

Parvatipuram Co-operative Bank Ltd. Parvatipuram District: Vizianagaram—Andhra Pradesh.

P. B. MATHUR,
Joint Chief Officer.

STATE BANK OF INDIA,

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 3rd September 1988

No. ADM/37222.—The following appointment on the Bank's Staff as hereby notified :—

Shri D. N. Mohapatra, Officer, Top Executive Grade Scale VI, has assumed charge as Dy. General Manager, Economic Research Department, Central Office, with effect from August 30, 1988.

(Sd.) ILLEGIBLE
Chief General Manager,
(Personnel and H.R.D.)

INDIAN BANK

CENTRAL OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT

Madras-600001, the 8th January 1988

No. 2.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of *INDIAN BANK* in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the *INDIAN BANK* (Officers') Service Regulations 1979.

2. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the *INDIAN BANK* (Officers') Service (Amendment) Regulations 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. *Details of the Amendments to be indicated* :

1. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Stagnation Increments—Amendment to Regulation 5 (1).

2. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—CAIIB Increments—Amendment to Regulation 5 (2).

3. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—House Rent Allowance at Project Area Centres—Amendment to Regulation 22 (2).

4. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Mid Academic Year Transfer Allowance—Amendment to Regulation 23 (iv).

5. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Washing Allowance—Amendment to Regulation 23 (vi).

6. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Oil & Fuel Allowance—Amendment to Regulation 23 (x).

7. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Hospitalisation Expenses—Amendment to Regulation 24 (b).

8. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Payment of Halting Allowance to Officers—Amendment to Regulation 41 (4).

9. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Baggage Charges—Amendment to Regulation 42 (2).

10. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Incidental Expenses on Transfer—Regulation Amendment to Regulation 42 (3).

11. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Encashment to Leave—Amendment to Regulation 44 (ii).

Amended Regulations indicated above, are enclosed.

B. SUBRAMANIAM,
Asstt. General Manager
(Personnel Administration).

SUB : INDIAN BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS 1979.

STAGNATION INCREMENTS :

AMENDED REGULATION 5(1).

The increment specified in the various scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which it falls due. Provided that those Officers in Junior Management Grade Scale I and Middle Management Scales II and III who reach the maximum of their pay scales on and from 01-01-1985 shall be granted stagnation increments, equivalent to the last increment for every five completed years of services after reaching the maximum in the respective scales, subject to a maximum of two such increments for Officers in Junior Management Grade Scale I and one such increment for Officers in Middle Management Grade Scales II and III.

In case of those Officers who have completed more than 5 years of service at the maximum of the respective scale the first such stagnation increment will be granted effective from the date on which it falls due or from 01-01-85, whichever is later, but the second increment shall be granted to those eligible not earlier than 01-01-87.

CAIIB INCREMENTS :

AMENDED REGULATION 5(2) :

An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of CAIIB examination. Provided that those Officers who have reached the maximum of their pay scales, on and from 01-02-84 professional qualification allowance of Rs. 100/- p.m. shall be granted for passing Part I of CAIIB examination after they complete one year at the maximum in the scale of pay and Rs. 200/- p.m. for passing both parts of CAIIB examination after they complete two years at the maximum in the scale of pay.

HOUSE RENT ALLOWANCE AT PROJECT AREA CENTRES :

AMENDED REGULATION 22(2) :

On and from 01-02-1984 where an Officer is not provided with residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for house rent allowance being a sum equivalent to the excess of the actual rent paid by him for his residential accommodation over 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, such sum being subject to the following rates :

Where the place of work is in	HRA Payable shall be
1. Major 'A' Class cities specified as such from time to time by the Board in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	17½% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 500/- p.m.
2. Area I not covered by item (1) above and Project Area Centres in Group 'B'.	15% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 400/- p.m.
3. Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (1) and (2) above	12½% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 300/- p. m.
4. Area III	10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- p.m.

Note: House Rent Allowance as above shall be paid on production of rent receipts, except that an officer may claim house rent allowance on certificate basis at the above rates subject to a maximum as under:—

Major A Class Cities and Project Area Centres in Group 'A'	Maximum of Rs. 275/-.
Other places in Area I and Project	Maximum of Rs. 225/-.
Area Centres in Group 'B'. Area II and State Capitals and	Maximum of Rs. 165/-.
Capitals of Union Territories	
Area III	Rs. 110/- fixed.

MID ACADEMIC YEAR TRANSFER ALLOWANCE :

AMENDED REGULATION 23 (*iv*) :

On and from 01-01-1987 if an Officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, a mid academic year transfer allowance of Rs. 150/- p.m. from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

OFFICIATING ALLOWANCE :

AMENDED REGULATION 23(*vi*) :

On and from 01-01-1985, if he is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than 7 days at a time, or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 10% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

HILL & FUEL ALLOWANCE :

An Officer shall be eligible for the following Allowances namely :—

AMENDED REGULATION 23 (*X*) :

On and from 01-01-1985, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a Hill and Fuel Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place.

TABLE

PLACES

Offices at altitudes of and over 1500 metres above mean sea level.

Offices at altitudes of and cover 1000 metres but below 1500 metres above mean sea level.

RATES

10% of pay subject to a maximum of Rs. 130/- p.m.

8% of pay subject to a maximum of Rs. 100/- p.m.

HOSPITALISATION EXPENSES :

AMENDED REGULATION 24(1) (*b*) (*i*) :

Hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 75% in the case of an Officer and 50% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

AMENDED REGULATION 24(1) (*b*) (*ii*) :

The reimbursement will be restricted to the following charges :

1. Charges for bed limited to a maximum of Rs. 40/- p.d. in metropolitan cities and Rs. 30/- p.d. in other places.
2. Hospital charges excluding charges for board.
3. Diagnostic material charges, X-rays, pathological tests, ECG, etc.
4. Medicines and drugs except tonics.
5. Surgeon's fees including Anesthttists, Blood transfer and dialysis.
6. Operation Theatre Charges.
7. Physician's and Consultant's fees.

AMENDED REGULATION 24(1) (*b*) (*iii*)

The Officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any Private hospital (i.e., hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission). But in unavoidable circumstances the Officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approvtd private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should however, be restricted to amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

AMENDED REGULATION 24(1) (*b*) (*iv*) :

In the case of hospitalisation expenses reimbursement will be on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred.

AMENDED REGULATION 24(1) (*b*) (*v*) :

On and from 01-01-1987, Medical Expenses incurred in respect of the following diseases which need domicillary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 75% in the case of an Officer and 50% in tht case of his family members :

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

MODE OF TRAVEL & EXPENSES ON TRAVEL :

AMENDED REGULATIONS 41 (4)

On and from 01-01-87 :

An Officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof.

After Amendment Table

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance		
	Major 'A' Class cities	Area I	Other places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Scale VI & VII .	100/-	80/-	60/-
Scale IV & V .	100/-	80/-	60/-
Scale II & III .	70/-	60/-	50/-
Scale I . .	70/-	60/-	50/-

Provided that :

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :

Grades/Scales of Officers	Eligibility to Stay	Boarding Charges		
		Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rs.	Rs.	Rs.
Scale VI & VII	4* Hotel	100/-	80/-	60/-
Scale IV & V	3* Hotel	100/-	80/-	60/-
Scale II & III	2* Hotel (Non A/C)	70/-	60/-	50/-
Scale I	1* Hotel (Non A/C)	70/-	60/-	50/-

(c) Where free loging is provided at the place of halt, ¼th of Halting Allowance will be admissible.

(d) Where free boarding is provided at the place of halt ¼ of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt, ½ of the Halting Allowance will be admissible.

(f) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

BAGGAGE CHARGES :

AMENDED REGULATION 42(2)(*i*) :

An Officer on transfer be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :

Pay Range:	Where he has family	Where he has no family
Rs. 1175/- to Rs. 1825/- p.m.	3000 Kgs	1000 Kgs
Rs. 1826/- p.m. and above	Full Wagon	2000 Kgs

AMENDED REGULATION 42(2) (*ii*) :

On and from 01-01-1987, if an officer eligible for full wagon avails of the facility of 'Container Service' by Railways, he will be reimbursed actual charges for one container if he is in Junior or Middle Management Grade/and for two containers if he is in Senior or Top Management Grade. If the baggage is transported by road between places connected by rail, the reimbursement will be limited to the actual freight charges against submission of bills subject to the cost not exceeding the cost of transport of the maximum permissible quantity by goods train. If there is no railway station or railway out-agency at the old or new place of posting, the officer will be paid the actual cost of transporting the baggage by road up to the nearest railway station or railway out agency. If both the places do not have railway station/out agency, the officer will be paid actual cost of transporting the baggage by road upto the stipulated weights by an approved transport operator.

AMENDED REGULATION 42(2) (*iii*) :

An Officer who owns a car will be eligible to claim the cost of transporting it by train to the place of transfer at goods train rate, and where the car is driven by road, the cost of so taking it, at the rates decided by the Board.

AMENDED REGULATION 42(2) (iv)

An Officer who owns a scooter, motor cycle or any other vehicle, will be eligible to claim the cost of transporting it to the place of transfer at goods train rates and if the vehicle is transported by lorry, the travel lorry, the actual lorry charges. If the vehicle is driven by road, the Officer will be eligible to claim at the rates decided by the Board.

INCIDENTAL EXPENSES ON TRANSFER

AMENDED REGULATION 42(3)

On and from 1-1-1987 an Officer on transfer would be eligible to draw a lumpsum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation and insuring the baggage etc.,

Grade	*Lumpsum*
Top Management and Senior Management,	Rs. 1,500/-
Middle Management and Junior Management,	Rs. 1,000/-

ENCASHMENT OF LEAVE

AMENDED REGULATION N44(ii)

Once in every four years, when an Officer avails of Leave Travel concession he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave no exceeding one month at a time. On and from 1-1-1987 for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availment of the Leave Travel Concession commence shall be admissible.

Provided that an Officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fuund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the fund.

The 2nd April 1988

No. 2.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of *INDIAN BANK* in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the *INDIAN BANK* (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short Title and commencement : These regulations may be called the INDIAN BANK (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1979.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. *Detalls of the Amendments to be indicated*

1. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Option for Existing Officers—Amendment to Regulation 12.

2. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Termination of Services of Officer—Amendment to Regulation 20.

3. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Mode of Travel and Expenses on Travel—Amendment to Regulation 41(1).

4. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Deputation Allowance—Amendment to Regulation 23(v).

5. Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979—Deputation Allowance—Amendment to Regulation 23(xi).

Amended Regulations indicated above, are enclosed.

INDIAN BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979.

AMENDMENT TO REGULATION 12

(Vide Board Resolution dated September 25, 1986)

Option for Exising Officers

1. Not withstanding anything contained in these regulations, an officer in the service of the Bank immediately before the appointed date shall have the option to continue even after that date in the scale of pay applicable to him immediately before the appointed date by communicating to the Bank within 30 days of the receipt of intimation regarding his fitment in the new scale of pay.

   Provided that such option shall continue to have effect only till the officer is promoted to a scale in the scales of pay set out in regulation 4 higher than the scale of pay to which the scale of pay under his entitlement immediately before the appointed date corresponds in accordance with Reg. 7.

2. Save as provided in sub regulation (3) where an officer has exercised such option he shall continue to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date.

Provided that in case the officer shall not be eligible for the perquisites under such entitlement but shall be entitled only to such perquisites as are admissible to him under these regulations.

3. Any Officer who has exercised option referred to in sub-regulation (1) and continues to draw pay and allowances according to his entitlement in the service

of the Bank immediately prior to the appointed date, in terms of sub-regulation (2) shall be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from 1-2-1984. On exercising such option, he will be fitted notionally on the appointed date into the new scale of pay in the manner referred to in Regulation 8 and after granting him the increments he would have received in terms of these regulations upto 31-01-84, he shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(1) as on 01-02-1984 in accordance with the guidelines of the Government issued thereunder.

Provided that if the aggregate of pay and allowances payable under these regulations to the officer after fitment as above is lower than the aggregate of pay and allowances that were payable to him as on 31-01-84, before such fitment, the difference shall be paid to him as a Personal Allowance which shall be absorbed in the future increments to the extent of 33 1/3% of each such increment or 33 1/3% of the increase in the salary as a consequence of such increment, whichever is lower.

AMENDMENT TO REGULATION 20

(Vide Board Resolution dated November 8, 1986)

1. Subject to sub-regulation (3) of regulation 16, the bank may terminate the services of any officer by giving him three months' notice in writing or by paying three months' emoluments in lieu thereof.

2. An officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue the service or resign. The period of notice required shall be three months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these Regulations.

Provided that the Competent Authority may reduce the period of three months or remit the requirement of notice.

3.a. Notwithstanding anything to the contrary contained in the sub-regulation (2) an officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the bank without the prior approval in writing of the Competent Authority and any notice of resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by Competent Authority.

3.b. Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him or where any charge sheet has been issued against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.

3.c. An Officer under suspension on a charge of misconduct shall not be retired or permitted to retire on his reaching the date of compulsory retirement, but shall be retained in service until the enquiry into the charge is concluded and a final order is passed thereon.

AMENDMENT TO REGULATION 41(1)

(Vide Board Resolution dated November 8, 1986)

Mode of Travel and Expenses on Travel

The following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty.

1. (i) An Officer drawing a pay of Rs. 2925/- p.m. and above may travel by train AC I class or by air. Where he travels by air he shall, unless otherwise provided by a general or special decision of the Board, he eligible only for economy class fare.

(ii) An Officer drawing a pay of Rs. 2650/- p.m. and above but less than Rs. 2925/- p.m. may travel by I Class by train. He may, however, travel by AC I class if the distance to be travelled is more than 500 kms. or an overnight journey is involved or with the prior permission of the Competent Authority, eligible only for economy class fare.

(iii) An officer drawing pay of less than Rs. 2650/- p.m. may travel by I Class by train. He may, however, travel by air if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iv) An Officer drawing pay of Rs. 2925/- p.m. and above may travel by car between places not connected by air or rail, provided that the distance does not exceed 500 kms. However, when a major part of the distance between the two places can be covered by car or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) Any other officers may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business to travel in his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

AMENDMENT TO REGULATION 23(v)

(Vide Board Resolution dated 18-07-87)

DEPUTATION ALLOWANCE :

If an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may, in addition to his pay draw a deputation allowance of 15% of pay and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Proviso I

Provided that where he is deputed to an organisations which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 7.5% of his pay.

Proviso II

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member or to BSRB shall be eligible for deputation allowance at 7.5% of his pay.

The deputation allowance in terms of Regulation 23(v) may be paid to eligible officers posted to BSRB with effect from 29-1-85 i.e. from the date on which such officers were made eligible for deputation allowance and to other institutions with effect from 01-02-84 at the revised rate.

INDIAN BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979

AMENDMENT TO REGULATION 23(xi)

(Vide Board Resolution dated 18-07-87)

If an Officer is deputed to serve as a member of faculty in any teaching establishment of the Bank, he shall be eligible to a deputation allowance at 10% of his pay.

The above Regulation is deleted.

B. SUBRAMANIAN
Asstt. General Manager (O)
Personnel Administration
Asstt. General Manager (PL)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 071, the 28th July 1988

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/4/3/88-89.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the power conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of the Institute

on account of death the name of the following member with effect from the date mentioned against his name.

Sl. No.	Mem. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	16699	Shri Tulshidas Saha, Andrew Yule & Co. Ltd., Tea Estate Department, 8, Clive Row, Calcutta-700 001.	16-1-88

R. L. CHOPRA
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th September 1988

No. N.15/13/13/13/3/77-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-9-1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely :—

"THE AREAS WITHIN THE LIMITS OF REVENUE VILLAGES OF LONI AND DHARAUTI KHURD IN TOWN AREA LONI PARGANA LONI TEHSIL AND DISTRICT GHAZIABAD."

E. K. RAJAKRISHANAN
Joint Insurance Commissioner

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS, DAK TAR BHAVAN)

New Delhi-110 001, the 13th September 1988

No. 25-21/88-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
(1)	280664-P EA 60 dated 4-5-76	Shri M.G. Patel	10,000/-

No. 25-22/88-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment there of has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
(1)	365753 dated 1-6-78 EA/58	Shri Suresh Kumar Maharishi	5,000/-

No. 25-8/88-LI.—P.L.I. policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	148632-P Dt. 21-5-69	Shri Kirpal Singh Gill	1,000/-
2.	200014-C dt. 15-3-78	Smt. Satyawati Gupta	4,000/-
3.	207463-P	Smt. Raj Kumari	5,000/-

JYOTSNA DIESH
Director (PLI)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1988